



F-07-08  
F-07-11

**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
**DEFENCE R&D ORGANISATION**  
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
**MINISTRY OF DEFENCE**  
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु – 560 037  
**MARATHAHALLI COLONY P.O**  
**BENGALURU –560 037**

वर्ग अनुमोदन सं.:1776 का संशोधन सहित नवीकरण

**Amendment cum Renewal of Type Approval Number: 1776**

**विषय/Sub:वाटर इंजेक्टर, पार्ट सं.: 410 157 01**

**Water Injector, Part No.: 410 157 01**

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स भारत हेवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड, बी एच पी वी पोस्ट, विशाखपट्टनम – 530 012, आंध्रा प्रदेश द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित " वाटर इंजेक्टर ", पार्ट सं. 410 157 01 को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1776, दिनांक 23 अगस्त 2013 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1776 जारी किया गया था जिसकी वैधता 30 जून 2018 तक थी।

*This is to state that the "Water Injector" bearing the Part No.: 410 157 01, designed, developed and manufactured by M/s Bharat Heavy Plate and Vessels Limited, BHPV Post, Visakhapatnam – 530 012, Andhra Pradesh. This was issued with Type Approval Number: 1776 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1776, dated: 23<sup>rd</sup> August 2013 with validity up to 30<sup>th</sup> June 2018.*

2. क्षेत्रीय निदेशक, आरसीएमए (लखनऊ) के पत्र सं. आरसीएमए (लखनऊ)/341/3/टेक/2, दिनांक 31 जुलाई 2018 द्वारा संशोधन एवं नवीकरण की मांग प्राप्ति के अनुसार, वर्ग अनुमोदन सं. 1776 के प्रमाणपत्र के पृष्ठ सं.1 एवं उसके परिशिष्ट.ए तालिका-1 के दूसरी और पाँचवीं पंक्ति में निम्नलिखित संशोधन जारी किया गया है।

Based on the request for amendment and renewal from RD, RCMA (Lko) vide their letter No.: RCMA (Lko) / 341/3/Tech / 2, dated: 31<sup>st</sup> July 2018, the following amendment is effected in the subject Type Approval No.: 1776 Page No.: 1 of the certificate and its Appendix 'A' Table 1 Row No.: Two and Five:

Subject	For	Read As
Name of the Firm	M/s Bharat Heavy Plate & Vessels Limited BHPV P.O, Visakhapatnam – 530 012	M/s Bharat Heavy Electrical Limited (BHEL), Heavy Plates and Vessels Plant (HPVP) Visakhapatnam – 530 012
Design Specification	ADA / ECS / WI / 000 / 05, Issue : NIL, dated: 27 <sup>th</sup> February 2013	ADA / LCA / ECS / WI / 000 / 05, Issue: NIL, Dated: 27 <sup>th</sup> February 2013

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 अक्टूबर 2018 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 30 सितम्बर 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (लखनऊ), लखनऊ – 226 016 से अनुरोध करना होगा।

*This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01<sup>st</sup> October 2018 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30<sup>th</sup> September 2023 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Lucknow), Lucknow – 226 016, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.*

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1776, दिनांक 23 अगस्त 2013 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद चार (04) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

*The Para four (04) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1776, dated: 23<sup>rd</sup> August 2013 is amended as stated herewith.*

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु – 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

*“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency]”.*

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।

*All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.*

सं. / No.: सेमिलैक /CEMILAC/5070/ए.टी/TA-1776/R1  
दिनांक / Date : 17 October 2018  
फैक्स सं. / Fax No.: 080-2523 0856

  
पी . जयपाल/ P. JAYAPAL  
उत्कृष्ट वैज्ञानिक /Outstanding Scientist  
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/  
Chief Executive (Airworthiness)